79

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक I/पुनर्विलोकन/टीकमगढ/भू.रा/2018/0257 /2018 पुनरावलोकन

भरत सिंह पुत्र ओमप्रकाश दांगी

निवासी–दंगियाना मौहल्ला, निवाड़ी

तहसील–निवाड़ी, जिला–टीकमगढ़

विरूद्ध

1. सुरेश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी
2. रमेश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी
3. हरीप्रकाश पुत्र ग्याप्रसाद दांगी

   निवासी–निवाडी, तहसील–निवाडी

   जिला–टीकमगढ़
4. शत्रुघ्न पुत्र ओमप्रकाश दांगी
5. अजबकुंवर विधवा पत्नी ओमप्रकाश दांगी
6. मध्यप्रदेश शासन

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक–938–1/2017 में पारि आदेश दिनांक 04/10/2017 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, माननीय न्यायालय के आदेश में ऐसी त्रुटि हुयी है जो माननीय न्यायालय के आदेश के पुनरावलोकन का आधार निर्मित करती है। इस माननीय न्यायालय के आदेश में आवेदक द्वारा की गयी प्रार्थना पर विचार नहीं हो सका है।

2. यह कि, आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक–4 व 5 ग्राम निवाडी खास की भूमि सर्वे क्रमांक 572/14 के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है उक्त तीनो स्वामीयों के मध्य आपस में भूमि का बंटवारा हो चुका है आवेदक को बंटवारे में भूमि सर्वे क्रमांक 2020/1/11 से लगा हुआ लगभग एक एकड का भूखण्ड आपसी बंटवारे में प्राप्त हुआ है।

3. यह कि, आवेदक ने भूमि सर्वे क्रमांक–572/14 के सीमांकन हेतु तहसीलदार निवाडी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था सीमांकन प्रकरण क्रमांक 9/अ–12/13–14 में दिनांक 14/06/2014 को स्थल पर सीमांकन किया गया जिसकी पुष्टि दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/रिव्यू/टीकमगढ/भू.रा./18/257

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
25_06_18	आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण में प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 938–1/2017 में पारित आदेश दिनांक 04.10.17 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। पुनर्विलोकन प्रकरणक्रमांक एक/रिव्यू/टीकमगढ/भू.रा./18/0257 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये । 3–आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण क्रमांक निगरानी 938–1/2017 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 04.10.17 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण क्रमांक एक/रिव्यू/टीकमगढ/भू.रा./18/0257 में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में रिव्यु के जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान	

होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी। ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है। इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य